न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
6(ए) वाद संख्या–18 / 2015
बिहार सरकार बनाम गुलाब देवी

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/01/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के पत्रांक–93 दिनांक–23.01.15 से मनीगाछी थाना कांड संख्या–245 / 14 में जप्त खाद्यान्न को अधिहरण करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि दिनांक–05.09.14 को ग्राम–माउबेहट के डीलर गुलाब देवी के राशन भंडार में 169 बोरा चावल सिलाई किया हुआ तथा 144 बोरा गेहूँ सिलाई किया हुआ तथा एक खुला बोरा में करीब आधा बोरा जप्त किया गया। संबंधित विक्रेता के विरूद्ध मनीगाछी थाना कांड संख्या–245 / 14 दर्ज कराया गया। जप्त खाद्यान्न ज0वि0प्र0 विक्रेता के पति पलटन मंडल, पे0–स्व0 नकछेदी मंडल, सा0–माउबेहट को जिम्मेनामा पर दिया गया है। जप्त खाद्यान्न को ज्यादा समय तक रखने पर नष्ट होने अथवा गुणवत्ता में ह्रास होने की संभावना प्रतिवेदित की गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत मेरा यह समाधान होता है कि मनीगाछी थाना कांड संख्या–245 / 2014 में जप्त खाद्यान्न का समुचित रख रखाव के अभाव में नष्ट होना संभाव्य है। अतएव अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि मनीगाछी थाना कांड संख्या–245 / 14 में जप्त खाद्यान्न को स्थानीय बाजार में बिकी कराकर प्राप्त राशि अनुमण्डल नजारत में जमा कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। प्रतिपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत करे। अभिलेख पुनः दिनांक–16/04/15 को रखें। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। ज्ञापांक 242 / जि0 वि0 दिनांक 07-02-2015 प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित करते अनुरोध है कि समाहर्त्ता महोदय दरभंगा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय। वरीय उप समाहर्त्ता जिला विधि प्रशाखा दरभंगा	